फर्द अहकाम

नारायणी बनाम गुलाबराम

यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर

या

48/18 (2022/581)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जाती है।	
28/11/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता की तरफ से Reg. A.D. अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 8/4/23 को पेश हो।	
8/4/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अभि० की तरफ से हेतु सम्मन तलबाना पेश होने पर जारि Reg. A.D. जारी होकर पत्रावली दिनांक 22/3/23 को पेश हो।	
22/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 29/3/23 को पेश हो।	
29/3/23	पत्रावली पेश हुई। मूल वाद उनवानी नारायणी देवी बनाम गुलाबराम वगै० मु० नं० 318/2022 राजस्व रिकार्ड में सह खातेदार नहीं होने के कारण खारिज किया जा चुका है। अतः हस्तगत प्रकरण भी इसी आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 29/3/2023	